91

Tel.01572-270669
pd-sik-rj@nic.in

राजस्थान सरकार

जिला परिषद, सीकर

क्रमांकः जिपसी/ग्राविप्र/पीए/निर्देश/432-40 दिनांक 09 जुलाई, 2018

परिपत्र

जिला परिषद व पंचायत समितियों की बैठकों में ग्राम पंचायतों के सरपंचों द्वारा विद्युत कनेक्शन के लिये आवास प्रमाण पत्र तथा नामान्तरकरण के लिये वारिस प्रमाण जारी करने की जानेवाली मनमानी कार्यवाही की शिकायते की जाती रही है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि विद्युत निगम के द्वारा उपलब्ध कराये गये नियमों के अनुसार कब्जाधारक के शपथ पत्र के आधार पर ही विद्युत कनेक्शन जारी किये जायेगें तथा इसके लिये भूमि या भवन के स्वामित्व के दस्तावेज नहीं मांगे जायेगें। राजकीय विद्यालय चारागाह, राजमार्गो एवं स्थानीय सड़कों/रास्तों की भूमि पर अवैध कब्जा कर निवास करने वालों तथा व्यवसाय चलाने वालों के शपथ पत्रों के आधार पर जिले में हजारों की संख्या में विद्युत कनेक्शन जारी किये गये है। इसके उपरांत ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच से आबादी क्षेत्र में होने का प्रमाण पत्र लाने के लिए आवेदकों को प्रेरित करना उचित नहीं है।

इसी तरह किसी खातेदार की मृत्यु के उपरांत वारिस प्रमाण पत्र जारी करने के लिये कानूनी तौर पर सरपंच के अधिकृत नही होने के उपरान्त राजस्व अधिकारियों द्वारा नामांतरकरण दर्ज करने के लिये सरपंच के द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र मांगा जाना विधि सम्मत नही है। मृतक खातेदारों के वारिसों की जानकारी करने का दायित्व पटवारी का है। ग्राम पंचायत द्वारा कोरम की बैठक में नामांतरकरण स्वीकृत किया जाता है। जिसके लिये किसी वारिस प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही है।

इस क्रम में ग्राम पंचायतों की मोहर से पूर्व की तारीखों में फर्जी पट्टे जारी करने तथा ऐसे पट्टों को न्यायिक कार्यवाही में उपयोग किये जाने, पंजीयन करवाने तथा ग्राम पंचायत की सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने के प्रकरण ध्यान में आने के उपरांत स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष में एक बार ग्राम पंचायत के सचिव, पंचायत प्रसार अधिकारी तथा सचिव द्वारा पट्टों के रिकॉर्ड का पंचायत समिति के पट्टा नियंत्रण रजिस्टर से मिलान किया जाकर प्रमाणीकरण किया जायेगा। पंचायत द्वारा वैध पट्टों की सूची जारी करेंगे तथा सूची से भिन्न पट्टे का सरकारी कामकाज में उपयोग लेने पर ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव प्रमाणित करेंगे कि यह रिकॉर्ड "ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड का भाग नही है।" ताकि ऐसे पट्टे का पंजीयन नही हो सके तथा न्यायिक कार्यवाही में उपयोग नहीं किया जा सके।

उपरोक्त प्रावधानों को नजर अंदाज करते हुये किसी सरपंच द्वारा कोई प्रमाण पत्र जारी किया जाता है या फर्जी दस्तावेजों को प्रमाणित किया जाता है तो ऐसा कृत्य पंचायती राज अधिनियम,की धारा 38(1) के तहत अपकीर्तिकर आचरण माना जावेगा।

(रामनिवास जाट)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, सीकर

क्रमांकः जिपसी/ग्राविप्र/432-40 दिनांक 09 जुलाई, 2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ

01. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर
02. विकास अधिकारी,पंचायत समिति,पिपराली /धोद /दांतारामगढ /श्रीमाधोपुर /खण्डेला/ पाटन/ नीमकाथाना/ फतेहपुर /लक्ष्मनगढ एक एक प्रति संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारी तथा ग्राम पंचायतों के सरपंच/सचिवों को उपलब्ध कराने हेतु।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद,सीकर